RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/04/KPHO/2017-19
प्रधान डाकघर कानपुर–डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/–

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

जनवरी–2018 | वर्ष – 09 | अंक : 12 | मूल्य : 5/–

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटौरिया, जिला–छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001,
मो. : 09887512360, 0144–3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला–अलवर, मो.–09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.–33496621020 • IFSC CODE-SBIN005307

ये थोथे आदर्श और सिद्धांत

क्या हिंदुओं की गुलामी का कारण नहीं ये?

संसार में जितने भी धर्म हैं उन में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। साथ ही इस के आदर्श एवं सिद्धांत भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के जनक कहे जाते हैं। परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि इतने प्राचीन होने पर भी इस धर्म के अनुयायी हमें उतनी संख्या में नहीं मिलते, जितने सदियों बाद पैदा हुए धर्मों के मिलते हैं।

आर्यों का परम उद्देश्य 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' है, परंतु इसकी पूर्ति होती नहीं देखी। इतना ही नहीं, अपने जन्म स्थान भारत में भी इस धर्म के अनुयायी निश्चिंतता एवं स्वतंत्रता का जीवन कुछ सदियों तक ही बिता पाए। अरब में पैदा हुआ इस्लाम हमारे देश में आया और अल्प काल में ही इतना फैल गया कि इस देश के दो टुकड़े कर देने पड़े। ईसाई धर्म की भी यही दशा हुई।

संभवतः कुछ लोग बौद्ध धर्म का उदाहरण दे कर कहें कि वह आज विश्व के काफी बड़े भाग में फैला हुआ है परंतु उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तव में वे बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही एक रूप समझते हैं? यदि ऐसा है तो डाक्टर अंबेडकर के बौद्ध हो जाने पर एक अजब सी बेचैनी क्यों पैदा हो गई थी? अछूत बौद्ध हो गए हैं उन्हें वे विशेष लाभ प्राप्त नहीं हैं जो अछूतों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं।

हिंदूओं में बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक मत प्रचलित हैं और आज वे अपने को हिंदू कहने में ही संकोच कर रहे हैं। पारस्परिक शत्रुता तो आदिकाल से ही इस धर्म में रही है। प्राचीन मुनियों में यदि कोई ईश्वर पर विश्वास करता है तो दूसरा उसका अस्तित्व ही नहीं मानता। कोई तर्क में विश्वास रखता है तो दूसरा दार्शनिक बना बैठा है। एक ही राय में यदि तपस्वी बहुत ऊंचा है। तो दूसरे की राय में भक्त, एक यदि विष्णु का पुजारी है तो दूसरा शिव का और उन्हीं मान्यताओं को लेकर खूनखराबे तक की नौबत आती रही है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, राम, रावण, परशुराम का इक्कीस बार क्षत्रिय दमन, महाभारत आदि की सारी गाथाएं इस खूनखराबे के प्रमाण हैं।

इतना होने पर भी क्या कभी हम ने सोचा है कि आखिर इस दौड़ में पराजित होने एवं उन्नति न कर सकने का कारण क्या है? इसके मूल में हमारे वे आदर्श और सिद्धांत हैं, जिन्हें हम बिना सोचे समझे ही इस धर्म का आधार समझ बैठे हैं तथा समयानुसार उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, यदि कभी इनमें थोड़े से भी परिवर्तन का प्रयास होता है तो हम चिल्ला उठते हैं : ''धर्म खतरे में है'' हमारी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि यदि हमारी सड़ीगली मान्यताओं पर जरा सी चोट पहुंचती है तो हमें लगता है मानो प्राण जा रहे हैं।

कहा जाता है कि एक बार ईसा के पास कुछ व्यक्ति एक महिला को लाए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, यह स्त्री बदचलन है, इसे दंड दीजिए।

ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा कि जो भी आपमें से इतना पुण्यात्मा हो कि उसने कोई भी पाप न किया हो वह इस स्त्री को पत्थर से मार डाले।

धीरे–धीरे सारी भीड़ छंट गई।

ईसा ने उस नारी से कहा, ''जाओ, मां, संसार का प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई पाप करता है।''

ईस के ये वचन उस नारी के जीवन को एक मोड़ देने वाले सिद्ध हुए। परंतु ऐसी स्थिति में हमारा धर्म क्या कहता? कुछ उदाहरण मैं आगे चल कर दूंगा। यहां तो उन सिद्धांतों का खोखलापन प्रदर्शित करना चाहता हूं जिनके आधार पर हमारा धर्म खड़ा है।

हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद पर वेदों में कोई सिद्धांत नहीं है। वे प्राचीन काल के विद्वानों द्वारा रचे गए मानसिक भावोद्वेग मात्र कहे जा सकते हैं। जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है अथवा कुछ नियमों की ओर संकेत मात्र किए गए हैं।

हमारे राजकीय, धार्मिक एवं कौटुंबिक नीतिसंबंधी नियम, उनके पालन के उपाय एवं भंग करने पर दंड विधान आदि की परिचायिका हैं स्मृतियां और उन स्मृतियों में सब से प्राचीन एवं प्रसिद्ध हैं 'मनुस्मृति' एवं 'याज्ञवल्क्यस्मृति' आइए, उन्हीं को आधार बना कर हम देखें कि क्या वास्तव में वे न्यायपूर्ण एवं पक्षपातरहित हैं।

ब्राह्मण महिमा

मानवता की दृष्टि से मानव मात्र एक समान है। उनमें कोई ऊंचनीच नहीं है और कम से कम जन्म से कोई ऊंच या नीच नहीं माना जाना चाहिए। अच्छे और बुरे कर्मों के लिहाज से हम चाहें तो उनमें विभेद कर सकते हैं, परंतु न्याय की दृष्टि में तो सभी एक होने चाहिए। लेकिन मनु महाराज अपनी स्मृति का प्रारंभ करते हुए ही लिखते हैं :

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मण समृताः

अध्याय 1, श्लोक 96।

(जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य एवं मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं)

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिज्जगतो गतम्।
श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति।

अध्याय 1, श्लोक 100।

(पृथ्वी पर जो कुछ धन है वह सब ब्राह्मण का है। उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से यह सब ब्राह्मण के ही योग्य है।)

उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे न्यायमूर्ति मनु महाराज ने मनुष्यों में एक वर्ग को सर्वश्रेष्ठ घोषित करके सब कुछ उसे भोग करने की खुली छूट दे दी है। केवल इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हो गया। ऊंच, नीच और घृणा की यह खाई और अधिक गहरी होती चली जाए, इसके लिए उन्होंने विधान किया।

मांगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्
वैश्यस्य धनसंयुक्तं, शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्।

(ब्राह्मण का नाम मंगलयुक्त, क्षत्रिय का बलयुक्त, वैश्य का धनयुक्त एवं शूद्र का निंदायुक्त होना चाहिए)

तात्पर्य यह कि शूद्र को पगपग पर यह भान होता रहे कि वह नीच और जीवन में वह कभी उन्नति न कर सके, ताकि द्विजों के लिए सेवकों की कमी न हो जाए और फिर ये सेवक कहीं शारीरिक दृष्टि से भी इतने स्वतस्थ न हो जाएं कि वे द्विजों की प्रतिस्पर्धा करें, अतः उनके लिए जहां एक ओर उच्छिष्ट भोजन आदि की व्यवस्था की गई, वहां दूसरी ओर ब्राह्मण के लिए याज्ञवल्क्य महाराज ने व्यवस्था की।

ब्राह्मण : काममश्नीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन
याज्ञवल्क्यस्मृति, ब्रह्मचारी प्रकरण श्लोक 32।

(ब्राह्मण श्राद्ध में चाहे जितना खाएं, उन का व्रत नहीं बिगड़ता)

मनुस्मृति का भी निम्न उद्धरण देखने योग्य है:

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्ब्रह्मणब्रुवः
धर्मप्रवक्ता नृपतेर्नतु शूद्रः कथंचन।

–अध्याय 8, श्लोक 30।

(केवल जाति में जीविका करने वाला कर्मरहित ब्राह्मण भी राजा की ओर से धर्मवक्ता हो सकता है, परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता)

विद्वत्ता एवं योग्यता में भी मनु महाराज जाति को उच्च स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, जो संसार के किसी भी धर्म में उचित नहीं माना जा सकता, उस असत्य भाषण को भी मनु महाराज धर्म का सरंक्षण प्रदान करते हैं :

कामिहेषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेंधने
ब्राह्मणाभयुपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम्।

–अध्याय 8, श्लोक 112।

(स्त्री संभोग, विवाह, गौओं के भक्ष्य, होम के ईंधन और ब्राह्मण की रक्षा करने में वृथा शपथ खाने से भी पाप नहीं होता।)

ब्राह्मण न हुआ, कोई ऐसा पुरूष हो गया कि जिस के मर जाने से सृष्टि में भूकंप आ जाएगा और फिर साथ ही स्त्री संभोग में भी झूठ बोलने से पाप नहीं होता। फिर तो संसार के सारे न्यायालय एवं कानून व्यर्थ ही समझे जाने चाहिए।

वही दोष करने पर शूद्र के लिए कठोर से कठोर दंड विधान है और ब्राह्मण के लिए कोई दंड नहीं, मनुस्मृति के अनुसार, ''कठोर वचन कहने का अपराध करने पर द्विजातियों को कुछ क्षण का दंड ही काफी है, परंतु शूद्र को जिह्वोच्छेदन अथवा जलती हुई दस अंगुल की शलाका मुख में डालना तथा मुख, कान में तपा हुआ तेल डालने का विधान किया गया है।'' (अध्याय 8, श्लोक 267 से 272)

मजेदार बात यह है कि दंड केवल तभी है जब कठोर वचन ब्राह्मण या क्षत्रिय के प्रति कहे गए हों। यदि वैश्य को गाली दी जाए तो कुछ धन का दंड ही काफी है और भी देखिए।

''शूद्र यदि द्विजाति को मारे तो उसके हाथ, यदि लात मारे तो पैर, यदि आसन पर बैठना चाहे तो चूतड़, ब्राह्मण पर थूके तो होठ, पेशाब करे तो लिंग और यदि अधोवायु करे तो गुदा की जगह कटवा दे।'' (अध्याय 8, श्लोक 277 से 283)

''शूद्र यदि रक्षित या अरक्षित जाति की स्त्री से भोग करे तो उसकी मूत्रेंद्रिय कटवा दे अथवा प्राणदंड दे, परंतु अन्य जातियों के लिए धन दंड ही काफी है और ब्राह्मण के लिए तो सिर का मुंडन ही काफी है।'' (अध्याय 8, श्लोक 374 से 379)

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् (8, 380)
न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विद्यते भुवि
तस्मादस्य वधं राजा मनसपि न चिन्तयेत् (8,381)

(सब पापों में लिप्त होने पर भी ब्राह्मण का वध कदापि न करे, उसे धन सहित अक्षत शरीर से राज्य से निकाल दे। ब्राह्मणवध के समान दूसरा कोई पाप पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए राजा मन में भी ब्राह्मणवध का विचार न करे)

द्वितीय विधाननिर्माता याज्ञवल्क्य मुनि तो ओर भी आगे बढ़ जाते हैं:

पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्ज्जनं गोप्रदानवत्।
–श्लोक 9, दानधर्मप्रकरण

(द्विजों के पांव एवं जूठन धोना गोदान के समान है)

अस्वन्नमकथं चैव प्रायश्चित्तैरदूषितम्
अग्नेः सकाशाद्विप्राग्नौ हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते।
–श्लोक 16, राजधर्म प्रकरण

(अग्नि में यज्ञ करने की अपेक्षा ब्राह्मणरूपी अग्नि में हवन करना अधिक श्रेष्ठ है)

इस प्रकार इन स्मृतिकारों ने वेद द्वारा गाया हुआ अग्निहोत्र का सारा गुणगान ब्राह्मण के ऊपर न्यौछावर करके वेदों और उनके कर्मकांड को ही धता बता दी है।

नारी निंदा

शूद्र की तरह नारी भी सदैव पुरूष की भोग्या गिनी जाती रही है। इसीलिए विवाह आदि के संबंध में जहां एक ओर उसे विधवा हो जाने पर दूसरे विवाह तक की आज्ञा नहीं है, वहां दूसरी ओर पुरूषों को कई कई विवाहों का आदेश किया गया है। वैसे ऊंच नीच की उस खाई को यहां भी नहीं पाटा जाता।

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः
–मनुस्मृति : अध्याय 3, श्लोक 13

(शूद्र की स्त्री एक शूद्रा ही हो, वैश्य की स्त्री वैश्य एवं शूद्रा, क्षत्रिय की शूद्रा, वैश्य एवं क्षत्राणी तथा ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्य एवं शूद्रा कही गई हैं।)

तिस्रो वर्णानुपूर्वेण द्वे तथैका यथाक्रमम्
ब्राह्मण क्षत्रियविशां भार्या स्याच्छूद्रजन्मनः
–याज्ञवल्क्य स्मृति विवाह प्रकरण, श्लोक 59।

(वर्णानुक्रम से ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2 एवं वैश्य 1 स्त्री रख सकता है। परंतु शूद्र अपने ही वर्ण में विवाह कर सकता है।)

एक ओर द्विजों के लिए यज्ञ, नियम एवं संयम की कठोरता है, तो दूसरी ओर स्वच्छंद भोगविलास की राह भी प्रशस्त कर दी गई है। 'गरीब की जोरू सब की भाभी' कहावत यहां पूर्णतः चरितार्थ होती है। स्त्री के लिए जहां एक ओर पतिव्रत ही जीवन कहा गया है तथा छल से ठगी गई अहल्या एवं पतिव्रता सीता को बिना कारण वन में छोड़ देने के उदाहरण है, वहां दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ऋषि विधान करते हैं।

दत्तामपि हरेत्पूर्वां ज्यायांश्चेद्वर आव्रजेत्
–विवाह प्रकरण, श्लोक 65

(पहले वर से अच्छा वर मिले तो दी हुई कन्या का भी हरण कर ले।)

मनु महाराज की दृष्टि में नारी के सतीत्व एवं पतिव्रत का मूल्य है वंशवृद्धि के लिए संतानप्राप्ति मात्र। इसके लिए वह नारी का सतीत्व बलिदान करने का आदेश देते हुए कहते हैं।

देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये।
विधवायां नियुक्तवस्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन।
–अध्याय 9, श्लोक 59–60

(निज स्वामी से संतान न होने पर स्त्री पति की आज्ञा से अपने देवर अथवा अन्य सपिंड पुरूष से इच्छित पुत्र लाभ कर सकती है। रात्रि के समय चुपचाप गुरू के द्वारा नियुक्त पुरूष अपने शरीर में घी लगाकर विधवा से एक पुत्र उत्पन्न कर सकता है, परंतु दूसरा पुत्र कदापि नहीं।)

सोचने की बात है कि यदि एक बार उफनती नदी का बांध टूट जाए तो क्या वह प्रयास करने पर भी पुनः ठीक हो सकता है? विधवा नारी, जो पता नहीं कितने प्रयास से अपने यौवन एवं इच्छाओं को बैठी हो, एक बार पुरूष से संभोग होने पर किस प्रकार अपने को संयत कर सकती है? दूसरे, यदि एक बार में गर्भाधान न हो तो वह नारी क्या करे? अब यह विचारणीय प्रश्न है कि वर्तमान हिंदू कोड बिल की तलाक एवं पुनर्विवाह धारा क्या इस से भी गईबीती है?

श्राद्ध व्यवस्था

अपने को अहिंसक तथा गौपूजक कहने वाले इन विधायकों की श्राद्धव्यवस्था पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा ''मनुष्यों के पितर तिल, चावल, जौ से एक मास, मछली से दो मास, हरिण के मांस से तीन मास, मेंढे के मांस से चार मास, पक्षियों के मांस से पांच मास, बकरी के मांस से छः मास, चित्रमृग के मांस से सात मास, काले मृग के मास से आठ मास, पाठीन मछली तथा रुरु हरिण के मांस से नो मास, सूअर और भैंसे के मांस से दस मास, कछुए व खरगोश के मांस से ग्यारह मास तथा वार्धीणस के मांस से बारह वर्ष तक तृप्त होते हैं।'' (मनु स्मृति अध्याय 3, श्लोक 267 से 271 तक)

इसी विषय में याज्ञवल्क्यस्मृति आदेश देती है: ''हविष्यान्न से महीने भर, पायस से एक वर्ष मछली, हरिण, भेड़ा, पक्षी, बकरा, चित्रमृग, कालामृग, साबर, शूकर और खरगोश, के मांस से श्राद्ध करने से पितर लोग क्रमशः एक–एक महीना अधिक तृप्त होते हैं।

गैंडा, महाशल्क, लाल बकरे का मांस, बूढ़े सफेद बकरे का मांस–इनसे अनंत काल तक पितरों को तृप्ति मिलती है। (श्राद्धप्रकरण, श्लोक 58 से 21 तक)

इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो भोज्याभोज्य का विचार करते हुए भक्ष्य पशुपक्षियों एवं मछलियों के नाम तक गिना डाले हैं। मजेदार बात यह है कि अभक्ष्य पशुओं में वह गाय का नाम नहीं गिनाते। (अध्याय 5, श्लोक 11 से 22)

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यज्ञ के लिए मांसभक्षण अनुचित नहीं। साथ ही उन्होंने उसे मंत्रों से पवित्र कर लेने का आदेश भी कर दिया है। वह तो ब्रह्मचारी को भी दुपट्टे के स्थान पर काले मृग, रुरु मृग एवं बकरे का चर्म प्रयोग करने का आदेश देते हैं। (अध्या 2, श्लोक 41)

ये हैं वे कुछ सिद्धांत जिन पर हिंदू धर्म की यह अट्टालिका खड़ी की गई है। हम स्पष्ट देखते हैं कि ये सिद्धांत पक्षपात और अन्याय से परिपूर्ण हैं और विश्वामित्र का युद्ध, परशुराम एवं क्षत्रियों की लड़ाइयां, शंबूक का वध, बुद्ध एवं महावीर का मतप्रचार आदि इन सिद्धांतों के विरूद्ध खुले विद्रोह कहे जा सकते हैं।

तथाकथित भगवान के अवतार

हमने सिद्धांतों पर एक पुष्टि डाली। अब हम उन आदर्शों को भी देखें जिनके उदाहरण पग पग पर दिए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान के जो अवतार गिनाए जाते हैं उनमें एक भी एकसा नहीं जिसे हम छलरहित कह सकें। नारी रूप धारण कर राक्षस एवं देवताओं के सम्मिलित प्रयास द्वारा तैयार किया गया अमृत केवल देवताओं को पिला देना, वामन रूप धारण कर बालि को छलना आदि को ही यदि हम अपना आदर्श आज मानने लगें, तो मत्स्यन्याय के सिवा संसार में कुछ भी शेष न रह जाएगा।

और ये सब छल जिन देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए किए गए, उनके चरित्र पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि उन कायर एवं चरित्रहीन देवताओं से तो परिश्रमी राक्षस हजार गुना अच्छे थे। जितने भी युद्ध देवताओं और राक्षसों के हुए, सबमें इन देवताओं ने पीठ ही दिखाई। कोई भी तो युद्ध ऐसा नहीं जिसमें देवता छल से न जीते हों।

देवताओं के राजा इंद्र ने अहल्या का सतीत्व नष्ट किया तथा उसके पश्चात भी वह राजा बना रहा, जबकि सामाजिक दंड अहल्या को ही भोगना पड़ा। मेनका आदि वेश्याओं के द्वारा तपस्वियों का तप भंग कराना तो इंद्र का एक साधारण सा कार्य था।

इंद्र के अलावा ब्रह्मा का कामातुर होकर अपनी लड़की सरस्वती के पीछे भागना, चंद्रमा द्वारा गुरुपत्नी का हरण, शिव का सती की लाश कंधे पर डाल कर पागलों की तरह घूमते फिरना आदि उदाहरण हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यदि राक्षस लोग भी ईमानदारी का आदर्श अपने सामने न रख कर छल से काम लेते तो क्या इतिहास इसी प्रकार लिखा गया होता?

राम और कृष्ण के विषय में तो इतना अधिक अब तक लिखा जा चुका है कि यहां उसे दोहराना ठीक न होगा। फिर भी यहां इतना लिख देना आवश्यक है कि 'रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जायं पर वचन न जाई' का आदर्श कैकेयी के सामने रखने वाले महाराज दशरथ ने कैकेयी के विवाह के समय उसके पिता को दिया यह वचन कि कैकेयी का पुत्र ही राजा होगा, स्वंय ही तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राम को भी उकसाया कि वह पिता के वचन का ध्यान न करें, बल्कि अयोध्या में ही रहें।

महाभारतकालीन आदर्शों में हम भीष्म को बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं, परंतु क्या अपने नपुंसक भाइयों के लिए अंबा आदि नारियों का हरण तथा उसके पश्चात एक बहन का जीवन बरबाद कर देना एवं शेष दो बहिनों का जबरदस्ती व्यास से नियोग कराना ही आदर्श है? यदि भीष्म चाहते तो महाभारत का संग्राम रूक सकता था, परंतु बैठे बैठे जुआ एवं द्रौपदी की बेइज्जती का तमाशा देखना ही उनका आदर्श था। द्रोणाचार्य का अकेले अभिमन्यु को घेर कर मार डालना, कृष्ण द्वारा कर्ण को मरवाना एवं दुर्योधन की जांघ तुड़वाना कौन सा आदर्श कहा जाएगा?

राजा शांतनु का मत्स्यगंधा से विवाह करना एवं दुष्यंत का शकुंतला को धोखा देना ही क्या आदर्श है? एक ओर हम कुंती एवं द्रौपदी को आदर्श नारी मानते हैं, तो फिर आज यदि किस अविवाहित लड़की के संतान हो जाती है तो क्या समाज उसे स्वीकार नहीं करता? यदि कोई नारी किसी परिस्थिति से मजबूर होकर दूसरा विवाह कर लेती है तो क्यों नहीं उसे द्रौपदी के समकक्ष मान लिया जाता?

उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें, तो हमें यह समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि हम हिंदुओं की लंबी गुलामी का कारण ये थोथे आदर्श एवं सिद्धांत ही हैं जिन्हें हम ऐसा अपरिवर्तित मान बैठे हैं कि उन पर जरा सी चोट लगने पर ही चीख उठते हैं।

सिद्धांत एवं आदर्श काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि कोई जाति आंखे मूंद कर उन पर चलने का प्रयास करती है तो यह निश्चित है कि वह समय की दौड़ में पीछे रह जाएगी। समय आ गया है कि हम इन गिरती दीवारों को, जिनकी नींव बिलकुल खोखली हो चुकी हैं, कुछ जोरदार धक्के देकर गिरा दें एवं उनके स्थान पर नवीन भवन का निर्माण करें।

साभार
कितने खरे हमारे आदर्श?
(पृ.सं. 7 से 15 तक)
सं. राकेश नाथ

ये पुरानी प्रथाएं

पैर छूने या घूंघट निकालने में क्या ज्यादा अभिवादन है? वास्तव में यह महिलाओं को दबाव में रखने का षड्यंत्र है?

बात बहुत पुरानी नहीं है, यही डेढ़ दो साल हुए होंगे, भाई साहब का विवाह था, घर में पहली वधू आ रही थी, आधुनिक विचारों के पोषक तथा स्त्री सम्मान के पक्षपाती पिताजी ने नई बहू के आते ही घोषणा कर दी, ''मेरी बहू न तो डेढ़ हाथ लंबा घूंघट निकालेगी और न ही बड़ों के अतिरिक्त किसी का चरणस्पर्श करेगी।''

घूंघट

इतना सुनना था कि परिवार की बड़ी बूढ़ियों में एक हलचल मच गई, खुसरफुसर तथा बड़बड़ाहट होने लगी, एक ने तो कह भी डाला : ''बड़ों का आदरसम्मान तो दुनिया से यों ही उठ गया है, कल की बहुएं मुंह खोल कर बड़ों को जवाब देने लगती हैं, और जब घर के बुजुर्ग ही उन्हें इस तरह सिखाएंगे, तो हमारी इज्जत तो भगवान के ही हाथ हैं।''

पर पिताजी भी पीछे हटने वाले नहीं थे, फौरन ही बोले, ''बहू घूंघट न करे या पैर न छुए, इस के पीछे मेरा यह उद्देश्य कतई नहीं है कि यह बड़ों की इज्जत न करे। पर क्या आंखों पर कपड़े के घूंघट के बजाय शील का आवरण डाल कर तथा सिर झुकाकर विन्रमता से अभिवादन भर करने से गुरूजनों के प्रति आदरसम्मान नहीं प्रकट किया जा सकता, जो यह मुंह छिपा कर झुकझुक कर सब के चरण छूती फिरे! मैं पूछता हूँ, बेटी सुधा क्या आप सब का आदरसम्मान नहीं करती? अवश्य करती है, पर वह न तो घूंघट निकालती है और न चरणस्पर्श करती है, फिर बहू के लिए ही ये दिखावे क्यों आवश्यक हैं? आदरसम्मान की भावना तथा इन घिसेपिटे नियमों में कोई अभिन्न संबंध नहीं है, अगर हम ऐसा समझते हैं, तो यह हमारी भूल है।''

अंत में पिताजी की बात ही मान्य हुई। भाभीजी से न लंबा घूंघट निकलवाया गया और न ही उन्होंने किसी के चरण छूए। आज दो वर्ष हो गए, किसी को उन से इस बात की शिकायत नहीं हुई कि वह बड़ों का अपमान या अनादर करती हैं। वरन मैं ने तो देखा कि पड़ोस की उमा भाभी की अपेक्षा, जो लंबा घूंघट निकाले असुविधाजनक स्थिति में दिन भर काम करती हैं, मेरी भाभीजी सलीके से सिर ढके कहीं जल्दी तथा कहीं सुविधा व कुशलता से काम निपटा लेती हैं।

पता नहीं कब से यह प्रथा चली थी, और किस रूप में चली थी, जिसका वर्तमान रूप आज यह है कि बहू ससुराल में लंबे घूंघट से मुंह ढंके प्रवेश करती है और हर जानेअनजाने स्त्री–पुरुष के पांव छूती है, जिन में से कितने ही उमर में उस से छोटे होते हैं। फिर ये रस्में विवाह में ही नहीं समाप्त हो जाती, इन्हें हमेशा निभाना होता है। घूंघट असुविधाजनक होने पर भी कई बच्चों की मां हो जाने के बाद भी पूर्ववत चलता रहता है, और हाथ बिना किसी प्रकार का प्रश्न किए यंत्रचालित से दूसरों के पैर छूते रहते हैं।

चरणस्पर्श

मैं चरणस्पर्श को पूर्णतया निंदनीय नहीं करती। ऐसे व्यक्ति का चरणस्पर्श आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता, जिस के प्रति मन बरबस ही झुके जाने को प्रेरित करे। परंतु चरण छूने को एक परंपरा बना कर नारी को उसे अपनाने को विवश करना उस में हीनता की भावना भरना ही है।

आदरसम्मान, लज्जा, शील आदि ऐसी भावनाएं हैं, जो हृदय से प्रस्फुटित होती हैं, मात्र पैर छूने या हाथ भर का घूंघट निकाल लेने से नहीं, लज्जा व शील तो आंखों के श्रृंगार हैं। घूंघट के भीतर अगर डेढ़ हाथ की जवान कर्कश बाण छोड़ती रहे, तो क्या फिर भी लज्जा, शील व आदरसम्मान की रक्षा हो सकेगी? और बिना घूंघट के मीठी जबान तथा लज्जा व शील से झुकी आंखों के उदाहरण आज हम आदर्श की तरह प्रस्तुत करते हैं, हृदय में क्या अपने गुरुजनों के लिए आदरसम्मान की भावना नहीं थी?

तात्पर्य यह है कि आदरसम्मान लज्जा व शील आदि के विकास व रक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नारी हृदय में चाहे जिन भावनाओं को छिपाएं रहें, पर मुख पर घूंघट का परदा डाले, आदरसम्मान का खोखला प्रदर्शन करती फिरे। आवश्यकता इस बात की है कि आरंभ से ही उसे परिवार में ऐसी शिक्षा दी जाए, उसे ऐसा वातावरण मिले कि आदरसम्मान तथा लज्जा व शील की परिभाषाएं उसके हृदय की भावनाएं बन जाएं। वह इन भावनाओं को अपने प्रतिदिन के व्यवहार में उतार सके।

साभार :
तर्क से काटिए अंधविश्वासों का जाल
पृष्ठ संख्या 95 से 96
राकेश नाथ

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति एवं बौद्धिष्ठ भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ कानपुर की ओर से
गणतन्त्र दिवस एवं रविदास जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएँ.....

अखिल भारतीय अनु. जाति/जनजाति एवं बुद्धिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ कानपुर की मण्डलीय इकाई का चुनाव सम्पन्न

कानपुर अखिल भारतीय अनु. जाति/जनजाति एवं बुद्धिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ कानपुर की मण्डलीय इकाई का वार्षिक अधिवेशन व कार्यकारिणी का चुनाव एल.आई.सी. बिल्डिंग फूलबाग क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पन्न हुआ। उक्त अधिवेशन में कल्याण संघ कानपुर मण्डल की इकाई हेतु नये पदाधिकारियों का चुनाव भी सम्पन्न हुआ। उक्त चुनाव क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सी. एल. कुरील व क्षेत्रीय महासचिव श्री हरि नाथ कुमार की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

उक्त चुनाव में श्री तारा चन्द्र सोनकर (सरंक्षक), श्री जगजीवन राम (मण्डलीय अध्याक्ष), श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम (मण्डलीय उपाध्यक्ष), श्री सन्तोष कुमार रावत (मण्डलीय महासचिव), श्री विनोद कुमार (सचिव प्रशासनिक), श्री रवि मोहन सोनकर (सचिव संगठन), श्री ओम प्रकाश कुरील (सचिव, संगठन), श्री समीर आनंद (सचिव संगठन), श्रीमती गीता रावत (सचिव विधि), श्री रघुनंन्द प्रसाद (सचिव प्रचार), श्री राकेश कुमार (सचिव प्रचार), श्री रवीन्द्र नाथ (सचिव प्रचार), तथा श्री राम अवध (कोषाध्यक्ष) निर्वाचित हुये।

सी० एल० कुरील
क्षेत्रीय अध्यक्ष

हरिनाथ कुमार
क्षेत्रीय महासचिव

जगजीवन राम
मण्डलीय अध्यक्ष

संतोष कुमार
मण्डलीय महासचिव

एक सराहनीय कदम
द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन का सफल रहा प्रयास
बाबा साहब का होगा सम्मान

गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के निर्माणी आदेश भाग–1 सं. 07 दि. 12–01–2018 में प्रकाशित किए गए कार्यक्रम में महाप्रबन्धक की स्वीकृति दि. 22–01–2018 के अनुसार निम्नलिखित सम्मिलन किया जाता है।

महाप्रबन्धक द्वारा राष्ट्रपिता के चित्र के माल्यार्पण के साथ डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर भी माल्यार्पण।

सियाराम
संस्थापक

राजेश कुमार
अध्यक्ष

अशोक कुमार
महामंत्री

श्रीराम संखवार
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,
सर्वोदय नगर, कानपुर

सुरेश वर्मा
आर.टी.ओ., सर्वोदय नगर
कानपुर

अशोक सिंह पटेल
महासचिव, लोक कल्याण सेवा एवं शिक्षा संस्थान
जी-1271, आवास विकास योजना नं.-1,
कल्यानपुर, कानपुर

राजनाथ प्रसाद
व्यावसायिक/फोरमैन वर्क शाप
विकलांग पुनर्वास वी.आर.सी. ए.
टी. परिसर, उद्योग नगर, कानपुर

6 दिस. परिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉ० अम्बेडकर जी को अर्पित की गयी श्रद्धांजलि

कानपुर! बाबा साहब डा बी आर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं बुद्धिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी कल्याण संघ, कानपुर के तत्वावधान में ऐतिहासिक स्थल नानाराव पार्क अंबेडकर प्रतिमा पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अपिर्तत की गई। उक्त कार्यक्रम में कल्याण संघ के विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

राज नारायण
लेखाधिकारी आई.टी.आई.
पाण्डु नगर, कानपुर

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएं ...

आनन्द मोहन
संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर

श्रीराम कमल (समाजसेवी)
ग्राम–बगदौधी बॉगर, पो0–मन्धना,
कानपुर नगर, मो0: 9450342251

कमलेश कुमार
सहा.प्रबन्धक/निजी सचिव (प्र.नि.)
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम, कानपुर

हीरालाल संखवार
सचिव एस.सी./एस.टी. एसो.
मुख्य डाकघर कानपुर

राजेन्द्र कुमार कुरील
लेखाकार, पी.पी.एन.डिग्री कालेज, कानपुर

सन्तलाल
नायब नजीर
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

रामस्वरूप
अध्यक्ष लेबर डिर्पाटमेन्ट मिनिस्टीरियल
एम्पलाइज एसोसिएशन
श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर

सन्दीप कुमार
उप मण्डल अभियन्ता (सिविल)
बी.एस.एन.एल., कार्यालय कानपुर

सुरेश चन्द्र
सहायक यूनाइटेड इण्डिया इंशोरेंस
कानपुर

इं. डी. एस. गौतम
सहायक अभियंता, उ.म. क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर

सरौभ गौतम
अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत विभाग परेड, कानपुर

एम. एल. वर्मा
सहायक सचित, क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर

डी. राम
लेखाधिकारी
बी.एस.एन.एल., कार्यालय कानपुर

मोरपाल सिंह
असि. मनेजर (उत्पादन)
उ.प्र. स्टेट हैण्डलूम कार्पो. इं. लि.

छोटेलाल
एम.टी.एस.
नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर फॉर एस.सी./एस.टी.
जी. टी. रोड, कानपुर

यतीन्द्र सोनकर
द्वारा – शिव शंकरलाल विषारद
स्मारक समिति, कर्नेलगंज, कानपुर

प्रताप सिंह
प्रधान सहायक, मुख्य अभियंता कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, कानपुर

प्रमोद कुमार
सचिव, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन
ऑफ सर्किल ऑफिसेज, सिंचाई विभाग, कानपुर

गौरव कुमार
अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, उ.प्र.
कार्यालय श्रमायुक्त, कानपुर

मेवालाल
प्रधान सहायक, मुख्य अभियंता कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, कानपुर

रामबालक
शाखा प्रबन्धक, एस. ओ. बी. ए. सी.
भारतीय जीवन बीमा निगम, कार्यालय

डा. वी. के. कटियार
ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज
द माल रोड, कानपुर

रामनरेश
जनरल सेकेट्री, एस.सी./एस.टी. एम्पलाइस
वेलफेयर एसोसिएशन, आयकर विभाग, कानपुर

सुखलाल भारती
मैनिजिंग डायरेक्टर, उ.प्र./यूपिका हैण्डलूम
कानपुर, उ.प्र.

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

इलायापेरुमल कमेटी (1969) की संस्तुति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, डी.जी.ई. एण्ड टी.के. अधीन देश के राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के स्थापना की है। इसी क्रम में वर्ष 1970 ये यह केन्द्र कानपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति की सेवा में कार्यरत है।

उद्देश्य :

1. शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभ्यर्थियो के सही मार्गदर्शन देते हुए सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराना।
2. अध्यापन एवं प्रशिक्षण के द्वारा बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के रोजगार बाजार की सूचना देना एवं रोजगार प्राप्त करने में अनेक कार्यक्रमों द्वारा विविध स्तर पर उनकी सहायता करना।

'सी.जी.सी.' कानपुर की गतिविधियाँ

पंजीयन पूर्व मार्गदर्शन • सम्प्रेषण पूर्व मार्गदर्शन • साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन • सामूहिक पूर्व मार्गदर्शन • व्यक्तिगत/सूचना मार्गदर्शन • आत्मविश्वास कार्यक्रम • पुनरीक्षण कार्यक्रम • व्यवसायिक सूचना • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। • टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण • कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य समूह ''ग'' परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग कार्यक्रम। • स्व–रोजगार • उच्च शिक्षा के साथ में भविष्यी नियोजन हेतु परामर्श • कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम • साक्षात्कार कला • अभिभावकों से विचार विमर्श • रोजगार सम्बन्धी अन्य समस्यायें।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
डी.जी.ई.एण्ड टी.

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर फॉर एस.सी./एस.टी.
जी. टी. रोड, कानपुर

उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
कार्यालय परिसर, जी.टी. रोड, कानपुर

इसके साथ–साथ ये योजनाएं भी भविष्य में लागू होनी चाहिए जिससे छात्र/छात्राओं को और बेहतर प्रशिक्षण/सुविधा दी जा सके ताकि छात्र/छात्राओं का उज्ज्वल भविष्य और बेहतर बन सके। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं –

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2017

फा. सं. 3–1/डी–एसडीसी/एनईईएम/2017–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा (राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) विनियम, 2017'' में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है –

इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) है। ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) विनियम, 2017'' में एनईईएम (नीम) सुविधा प्रदाता की पात्रता के संबंध में अनुच्छेद 1 और 3 के अंतर्गत किए गए प्रावधान संशोधित हो जाएंगे तथा इन्हें निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापि किया जाता है –

खण्ड–1.2 : ये विनियम किसी भी सोसायटी / न्यास / कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालयों/सरकारी संस्थाओं/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत स्थापित स्टार्ट–अप तथा नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त पर लागू होंगे।

खण्ड–3.1 : कोई सोसाईटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्रीय सरकार के निकाय/राज्य सरकार के निकाय/सरकारी संस्थानों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालयों/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत स्थापित स्टार्ट–अप तथा नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु मात्र होंगे।

खण्ड 3.3 : एनईईएम सुविधा प्रदाता का कारोबार (टर्नओवर) एवं पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नलिखित तालिका के अनुसार होनी चाहिए अथवा उस मूल कंपनी जिसके अधीन एनईईएम के उद्देश्यों के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर इसमें किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी स्थापित की गई है, का कारोबार (टर्नओवर) एवं पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नलिखित तालिका के अनुसार होनी चाहिए –

क्रम संख्या	पिछले तीन वित्तीय वर्षो से प्रति वर्ष कारोबार (टर्नओवर) (करोड़ में)	प्रति वर्षो प्रशिक्षण क्षमता
1.	25 तथा अधिक	5,000
2.	15–25	3,000
3.	5–15	1,000

खण्ड 3.6 : एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों/सरकारी संस्थानों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालय/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) तथा के अंतर्गत स्थापित स्टार्ट–अप तथा नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप जो स्वयं को एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं को, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना सही है, और यदि भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाई गई, तो इस सूचना के आधार पर एनईईएम सुविधा प्रदाता के तौर पर किया गया उनका पंजीकरण रोका जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है तथा दण्डात्मक एवं सिविल कार्रवाई की जा सकती है।

खण्ड 3.8 : धारा 3.2 तथा 3.3 सरकारी संस्थाओं/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार सरकारी विश्वविद्यालयों/ सरकारी केन्द्रों/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित सैक्टर कौशल परिषदों/स्टार्ट–अप कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। स्टार्ट–अप कंपनी परिषद् की अपेक्षानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परिषद् को जमा करेंगी, जिसमें ''प्रशिक्षण कहाँ एवं कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा'' एवं वितपोषण के स्त्रोत इत्यादि की जानकारी शामिल होगी।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य–सचिव
(विज्ञापन.–III/4/असा./275/17)

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...
सुशीला गौतम
कार्यालय अधीक्षक
बी.एस.एन.एल. कानपुर उ.प्र.

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...
जे. पी. दिनकर
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम कानपुर

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...
रामचरन
पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) विनियम, 2017

फा.सं. – 37–1/डी–/एसडीसी/एनईईएम/2017 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फाईल संख्या फा. सं. 37–3/विधिक/अभातषिप/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के माध्यम से भारत का राजपत्र में प्रकाशित ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} विनिमय, 2013'' तथा फा. सं. 37–3/विधिक/अभातषिप/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के माध्यम से भारत का असाधारण राजपत्र में प्रकाशित ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} विनियम, 2013'' (प्रथम संषोधन) के अधिक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम) विनियम, 2017 है।

1.2 ये विनियम किसी भी सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों तथा {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} के अन्तर्गत सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.0 उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) का उद्देश्य तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने या 10वीं कक्षा के पश्चात् पढ़ाई छोड़ने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु उसको कार्य पर प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3.0 राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) सुविधा प्रदाता की पात्रता

3.1 कोई सोसाईटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्रीय सरकार के निकाय/राज्य सरकार के निकाय/सरकारी संस्थान एवं विश्वविद्यालय एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु पात्र होंगे।

3.2 एनईईएम सुविधा प्रदाता कम से कम पांच वर्ष से प्रशिक्षण देने में कार्यरत होना चाहिए अथवा एनईईएम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल कंपनी जिस के अधीन धारा 25 कंपनी/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधनों के अंतर्गत बनाई गई कंपनी कम से कम पांच वर्षों से प्रशिक्षण देने में कार्यरत होनी चाहिए।

3.3 एनईईएम सुविधा प्रदाता का कारोबार एवं एनईईएम के उद्देश्यों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नानुसार होनी चाहिए –

क्रम संख्या	पिछले तीन वित्तीय वर्षो से प्रति वर्ष कारोबार (टर्नओवर) (करोड़ में)	प्रति वर्षो प्रशिक्षण क्षमता
1.	25 तथा अधिक	5,000
2.	15–25	3,000
3.	5–15	1,000

3.4 एनईईएम सुविधा प्रदाता को अनुमोदित एनईईएम सुविधा प्रदाता बनने के लिए अभातशिप में पंजीकरण कराना होगा।

3.5 एनईईएम सुविधा प्रदाता को पंजीकरण कराने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये डाटा के साथ–साथ पंजीकरण के लिए परिशिष्ट–I में दिये गये प्रपत्र अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3.6 एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों को इस विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दिये आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना सही है, और यदि भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पायी गई, तो इस सूचना के आधार पर एनईईएम सुविधा प्रदाता के तौर पर किया गया उनका पंजीकरण रोका जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है तथा दण्डात्मक एवं सिविल कार्रवाई की जा सकती है।

3.7 यदि सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत किसी सदस्य अथवा किसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के विरूद्ध सतर्कता जांच सहित कोई जांच चल रही है अथवा पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोई आपराधिक जांच/अभियोजन चल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन करने अथवा अनुमोदन पाने के लिए पात्र नहीं होगी।

3.8 धारा 3.2, 3.3 तथा 3.6 सरकारी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/सरकारी केन्द्रों/कौशल विकास प्रशिक्षुता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित सैक्टर कौषल परिषदों पर लागू नहीं होगा।

4.0 एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षु की पात्रता

4.1 एनईईएम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति, को एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षु (ट्रेनी) कहा जाएगा।

4.2 एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण का इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण कराने की तिथि को 16 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

4.3 एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण का इच्छुक व्यक्ति वर्तमान में किसी तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा कर रहा होना चाहिए अथवा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने 10वीं कक्षा के पश्चात पढ़ाई छोड़ दी हो।

4.4 वह एनईईएम द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा करता हो।

5.0 एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुबंध (संविदा) के मानक

5.1 एनईईएम सुविधा प्रदाता तथा एनईईएम प्रशिक्षु के मध्य संबंध को शासित किए (चलाए) जाने हेतु एक अनुबंध (संविदा) हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी।

5.2 परिशिष्ट–II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार बनाए अनुबंध (संविदा) पत्र में वर्णित एनईईएम प्रशिक्षु की प्रवेश की तिथि से एनईईएम प्रशिक्षण आरंभ माना जाएगा।

5.3 एनईईएम अनुबंध (संविदा) रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र अथवा रोजगार की गारंटी अथवा रोजगार नहीं होगा।

5.4 प्रशिक्षु को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक/वृत्तिका (स्टाइपंड) एक समेकित राशि होगी तथा इसमें से नियमित रोजगार के मामले में लागू कोई कटौतियां इत्यादि नहीं होगी।

6.0 प्रशिक्षण की अवधि

6.1 एनईईएम प्रशिक्षण एनईईएम सुविधा प्रदाता के पास पंजीकृत किसी पंजीकृत कंपनी/उद्योग में दिया जाएगा।

6.2 एनईईएम प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का तथा अधिकतम 36 महीने का होगा और प्रशिक्षण का एनएसक्यूएफ द्वारा अनुपालित होना अनिवार्य।

6.3 एनईईएम प्रशिक्षण की अवधि उद्योग अथवा व्यापार (ट्रेड) की प्रकृति, जहां पर एनईईएम प्रशिक्षु यह प्रशिक्षण लेने हेतु कार्यरत है के अनुसार निर्धारित की जाएगी तथा यह पूर्णतया एनईईएम सुविधा प्रदाता के विवेक पर आधारित होगी।

7.0 प्रशिक्षण अनुबंध (संविदा) की समाप्ति

7.1 एनईईएम प्रशिक्षु तथा एनईईएम सुविधा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध (संविदा) पत्र में वर्णित प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने पर प्रशिक्षण का अनुबंध समाप्त माना जाएगा।

7.2 दूसरे पक्ष (पार्टी) को 30 दिन का लिखित अग्रिम नोटिस देकर कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

7.3 एनईईएम प्रशिक्षु के किसी गैर कानूनी आचरण अथवा कंपनी/उद्योग की नीतियों का पालन न करने अथवा एनईईएम प्रशिक्षु के लिए अधिसूचित प्रशिक्षण अवधि में बार–बार अनुपस्थित रहने पर एनईईए म सुविधा प्रदाता द्वारा प्रशिक्षु के प्रशिक्षण अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

7.4 एनईईएम सुविध प्रदाता द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का अनुपालन न करने पर एनईईएम प्रशिक्षु 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर एनईईएम सुविधा प्रदाता के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

7.5 एनईईएम प्रशिक्षु जिस एनईईएम सुविधा प्रदाता अथवा कंपनी/उद्योग में अनुबंध के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, वह उससे इस प्रशिक्षण अनुबंध के अंतर्गत रोजगार का अनुबंध नहीं कर सकता।

8.0 एन.ई.ई.एम. के अंतर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य से निर्धारित टड एवं उद्योग

8.1 ऑटोमोबाईल तथा ऑटो घटक

8.2 रसायनिक एवं भेशजी (कैमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स)

8.3 अणु विद्युत (इलेक्ट्रोनिक्स) तथा हार्डवेयर

8.4 वस्त्र एवं परिधान

8.5 चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं

8.6 रत्न एवं आभूषण

8.7 भवन एवं निर्माण

8.8 खाद्य प्रसंस्करण
8.9 हथकरघा एवं हस्तशिल्प
8.10 मूल संपदा, भवन हार्डवेयर तथा गृह सज्जा
8.11 आई.टी.एस. अथवा सॉफ्टवेयर सेवाएं
8.12 आई.टी.एस. – बी.पी.ओ. सेवाएं
8.13 पर्यटन आतिथ्य तथा यात्रा उद्योग (ट्रेवल ट्रेड)
8.14 परिवहन, संभार/वेयर हाऊसिंग तथा बाधंना जुड़ना (पैकेजिंग)
8.15 संयोजित खुदरा
8.16 संचार (मीडिया) मनोरजंन, प्रसारण, सामग्री निर्माण तथा चल चित्र (एनिमेषन)
8.17 स्वास्थ्य देख रेख (हैल्थकेयर) सेवाएं
8.18 बैकिंग/बीमा एवं वित्त
8.19 शिक्षा/कौशल विकास सेवाएं
8.20 एफ.एम.सी.जी., उपभोक्ता टिकाऊ (डुरेबल) सामान
8.21 दूरसंचार एवं दूरसंचार अवसंरचना (टेलिकॉम एवं टेलिकॉम अवसंरचना)
8.22 बहु–कौशल निर्माण
8.23 अन्य कोई

9.0 एनईईएम प्रशिक्षुओं का प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं मौलिक प्रशिक्षण

9.1 प्रत्येक एनईईएम प्रशिक्षु को नियोक्ता/कंपनी/उद्योग के परिसर में अथवा चयनित ट्रेड की आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रगत संचालन में ट्रेड संबंधी गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9.2 एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली, मौलिक योजना के लिए उपयोगी, सैटेलाईट तथा अन्य अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

9.3 एनईईएम परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले एनईईएम प्रशिक्षुओं को एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत निर्धारित अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित अनुदेषों, तथा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का अनुपालन करना होगा।

9.4 एनईईएम प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु एनईईएम सुविधा प्रदाता विभिन्न प्रशिक्षकों तथा नियोक्ताओं/कंपनी/उद्योग के पार्टनर होंगे।

10.0 प्रशिक्षुओं का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा एवं कल्याण

10.1 एनईईएम सुविधा प्रदाता प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के कल्याण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं का ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु यथालागू अधिनियमों एवं आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

11.0 कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टी एवं अवकाश

11.1 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु के साप्ताहिक एवं दैनिक कार्य घंटे प्रशिक्षण देने वाले नियोक्ता/कंपनी/उद्योग की नीति के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे।

11.2 किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए निर्धारित कार्य घंटों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट पर्यवेक्षक प्राधिकारी की बिना अनुमति के, अन्य अतिरिक्त कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

11.3 प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठान में मिलने वाले अवकाश तथा निर्धारित की गई छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।

12.0 चोट लगने पर एन.ई.ई.एम. सुविधा प्रदाता का मुआवजा देने संबंधी दायित्व

12.1 एनईईएम प्रशिक्षु को उसके प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश यदि कोई चोट लग जाती है, जो एनईईएम सुविधा प्रदाता को इसके लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार एनईईएम प्रशिक्षु को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करना होगा।

13.0 आचरण एवं अनुशासन

13.1 एनईईएम प्रशिक्षु के आचरण एवं अनुशासन संबंधी सभी मामलों में एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा निर्धारित किये गये तथा/अथवा कंपनी उद्योग, जहां पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, के नियम एवं विनियम लागू होंगे।

14.0 प्रशिक्षण उपरांत सहायता

14.1 सभी एनईईएम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के पूर्ण होने पर प्रशिक्षण पूरा करने संबंधी प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

14.2 उन सभी एनईईएम प्रशिक्षुओं को, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं तथा परीक्षा में निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा पार कर लेते हैं, को एनईईएम प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण कौशल निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का स्थान (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

15.0 पारिश्रमिक/वृत्तिका (स्टाइपंड)

15.1 एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा सभी नामांकित एनईईएम प्रशिक्षुओं को अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर पारिश्रमिक/वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।

15.2 पारिश्रमिक/वृत्तिका का भुगतान एकल समेकित राशि के तौर पर किया जाएगा। ऐसे भुगतान में नियमित कर्मचारियो के लिए लागू सांविधिक कटौतियां अथवा भुगतान जैसे कि भविष्य निधि (पी.एफ.), ई.एस.आई इत्यादि लागू नहीं होंगे, क्योंकि एनईईएम अनुबंध के अनुसार इनको रोजगार पर नहीं, बल्कि प्रशिक्षण पर रखा गया है।

16.0 निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण/अभिलेख

16.1 एनईईएम सुविधा प्रदाता अथवा कंपनी अथवा उद्योग, जहां पर एनईईएम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह उसका निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण होगा।

16.2 एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र में ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट फाईल करेगा।

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

16.3 एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातशिप वेबपोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में एनईईएम प्रशिक्षु डाटा अपलोड करेगा।

16.4 एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातशिप द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले सभी अतिरिक्त मानकों का अनुपालन सुनिषिचत करेगा।

17.0 शास्ति तथा पंजीकरण एवं अनुमोदन को वापस लेना

17.1 यदि कोई एनईईएम सुविधा प्रदाता इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो अभातशिप ऐसी जांच करके, जो वह उपयुक्त समझे तथा संबंधित एनईईएम सुविधा प्रदाता को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, एनईईएम सुविधा प्रदाता के पंजीकरण तथा उसको दिये अनुमोदन को रोक रखती है/वापस ले सकती है।

17.2 यदि किसी एनईईएम सुविधा प्रदाता का पंजीकरण तथा अनुमोदन रोका जाता है अथवा वापस लिया जाता है, वह एनईईएम सुविधा प्रदाता इसके रोके जाने अथवा वापस लिये जाने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दुबारा नया पंजीकरण कराने के लिए पात्र नहीं होगा।

18.0 पंजीकरण की वैद्यता

18.1 पंजीकरण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध है। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात् पंजीकरण के विस्तार अथवा अन्य हेतु एनईईएम सुविधा प्रदाता के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए विधिवत् रूप से गठित की गई समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह खण्ड सभी सुविधा प्रदाता पर पूर्वव्यापी (रेट्रोइस्पैक्टीव) रूप से प्रचालित होगा।

प्रो. अलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य–सचिव

(विज्ञापन–III/4/असा./127/17)

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएं ...

लक्ष्मी नारायण
प्रशासनिक अधिकारी
प्रावि. शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., कानपुर

गणतंत्र दिवस एवं रविदास जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएं ...

मधुरिमा मित्ता
उपायुक्त राज्यकर विभाग
लखनऊ (उ.प्र.)

के. के. गौतम
संयुक्त आयुक्त
राज्यकर विभाग, लखनऊ

संजीव कनौजिया
क्षेत्रीय लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (का.क्षे.)
उ0 प्र0 जल निगम कानपुर

इं. के.के.लाल
प्रधानाचार्य/असिस्टेन्ट
अप्रेन्टिस–शिप एडवाइजर राजकीय
आई.टी.आई., फैजाबाद (उ.प्र.)

जगमोहन
उप निदेशक लेबर डिर्पाटमेन्ट
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

नीतू जयसवाल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला
लाल बंगला, कानपुर
मो. : 9838291001